



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 28.03.2023

गैर इरादतन हत्या करने वाले आरोपियों देवदत्त, प्रमोद, श्याम व आनन्द को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,500-10,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों देवदत्त पुत्र जयप्रकाश, प्रमोद पुत्र जयप्रकाश, श्याम पुत्र रामचन्द्र, आनन्द पुत्र देवदत्त निवासीगण ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2010 में गैर इरादतन हत्या की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 199/2010 धारा 279/337/338/304/323 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों देवदत्त, प्रमोद, श्याम, आनन्द को दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 304 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1-देवदत्त पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- प्रमोद पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3- श्याम पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4- आनन्द पुत्र देवदत्त निवासीगण ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 28.03.2023

मारपीट करने वाले आरोपियों संजय, अक्षय व संजीव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कठोर कारावास व 2500-2500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों संजय पुत्र देवेन्द्र, अक्षय पुत्र मांगेराम, संजीव पुत्र रामफूल निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2010 में मारपीट की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 199A/2010 धारा 452/323/324/506/427/457 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों संजय, अक्षय, संजीव को दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 324 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1-संजय पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-अक्षय पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-संजीव पुत्र रामफूल निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 28.03.2023

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी राजन को 04 वर्ष 04 माह 14 दिन का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजन पुत्र निरंकार निवासी ग्राम बडागांव थाना खेकड़ा जनपद बागपत के विरुद्ध थाना खेकड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 446/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं0-03 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राजन को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 04 वर्ष 04 माह 14 दिन का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

राजन पुत्र निरंकार निवासी ग्राम बडागांव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

अभियुक्त राजन का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 253/2007 धारा 324/504 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 385/2014 धारा 302 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 406/2014 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 446/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 574/2018 धारा 201/302 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 610/2018 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 28.03.2023

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 197/23 धारा
147/323/354ख/504/308 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 197/23 धारा 147/323/354ख/504 /508



भादवि में 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 10-03-2023 को अभियुक्त गौतम व पोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:

- 1-अक्षय पुत्र निरंकार निवासी ग्राम अलावलपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-सौरभ पुत्र संजीव निवासी ग्राम अलावलपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बडौत ।
- 2-है0का0 120 मनोज कुमार थाना बडौत ।
- 3- का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक- 28.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 233/23 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक ई-रिक्शा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 28.03.2023 को वादी श्री सोहनलाल पुत्र कांजी निवासी मौहल्ला आजाद नगर गली नं0 2 कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसकी ई-रिक्शा को चोरी कर ले जाते समय अभियुक्त मोहित उर्फ भूल्लर पुत्र नत्थू निवासी मौहल्ला आजाद नगर गली नं0 1 कस्बा व



थाना बडौत को जनता की मदद से पकडकर थाना बडौत पर लाया गया । थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहित उर्फ भूल्लर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की हुई ई-रिक्शा बरामद हुई है । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 233/23 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित उर्फ भूल्लर पुत्र नत्थू निवासी मौहल्ला आजाद नगर गली नं0 1 कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक ई-रिक्शा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 712 विनय कुमार थाना बडौत ।

2-एचजी 218 अमित कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाडी बुलेरो पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 07 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक गाडी बुलेरो पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 07 पशु बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0-287/23 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-उमरदराज पुत्र फारूख निवासी मौ० घौंसियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-जीसान पुत्र बिलाल निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-चांद पुत्र वहाव निवासी मौ० व्यापारियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 07 पशु ।
- एक गाडी बुलेरो पिकअप नं० UP-17AT-8537

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री कैलाशनाथ थाना कोतवाली बागपत ।

2-उ०नि० श्री ओमसिंह थाना कोतवाली बागपत ।

3-है०का० 12 सत्यवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

4-है०का० 399 वीरपाल थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-28.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 285/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक ठेला बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.03.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री रितिक पुत्र कालेराम निवासी देवी चौक थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त ने उसका ठेला चोरी कर लिया है । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 285/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 285/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक ठेला बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक ठेला । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 285/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0क0 435 आलोक कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 1067 आशुतोष दुबे थाना बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनाँक 28.03.2023

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

विककी पुत्र दयाचन्द निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- का0 980 अरविन्द कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 28-03-2022

थाना बडौत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सुभाष पुत्र सत्यवीर उर्फ जीतू निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 201 विशाल चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 550 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 28.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 232/23 धारा 306 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.03.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री श्यामसुन्दर पुत्र आशाराम निवासी ग्राम गोटका थाना सरूरपुर कलां जनपद मेरठ ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.विपिन पुत्र बलवीर, 2.कृष्णपाल पुत्र बलवीर, 3.विष्णु पुत्र कृष्णपाल व एक महिला निवासीगण ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी आजाद नगर गली न0 01 करबा व थाना बडौत द्वारा वादी की पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया, जिससे परेशान होकर वादी की पुत्री ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 232/23 धारा 306 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 232/22 धारा 306 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

विपिन पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी आजाद नगर गली न0 1 करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 1043 सुनील यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 28-03-2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 37/23 धारा 307 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय कारतूस किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 37/23 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

अखिल उर्फ निखिल पुत्र अनिल निवासी रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस ।
(सम्बन्धित मु0अ0सं0 37/23 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बिनौली जनपद बागपत।)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 109 नरेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का० 874 सतेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 28.03.2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 320/22 धारा 498ए/323/504/506/354 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 320/22 धारा 498ए/323/504/506/354 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आस मौहम्मद पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम सारा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।
- 2-जान मौहम्मद पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम सारा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री दिग्विजय सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
2. है०का० 90 रईस हैदर जैदी थाना बिनौली जनपद बागपत
3. हो०गा० 435 प्रणवीर थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 28.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुशील उर्फ जगू पुत्र आशाराम निवासी बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री कैलाशचन्द थाना खेकडा ।
- 2-है०का० 417 राधेश्याम थाना खेकडा ।